

न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-315/08
संस्थापित दिनांक-03.07.2008
Filling no- 235103000822008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- वन विभाग चंदेरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- लटकू पुत्र कुन्जा पुत्र आदिवासी उम्र 39 साल निवासी- ग्राम निदानपुर तहसील चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0आरोपी

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 31.10.2017 को घोषित)

01- आरोपी के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम की धारा 26(ज) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का अभियोग है कि दिनांक 02.07.2008 को ग्राम देवलखो वीट जंगल क्षेत्र कक्ष क्रमांक आर.एफ 360 में वन भूमि पर खेती करने के आशय से वृक्षों को काटा।

02- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि वन परिक्षेत्र चंदेरी सब रेन्ज नयाखेडा (फतेहावाद) के बीट गार्ड देवलखो ने दिनांक 02.07.2008 को कक्ष क्रमांक आर.एफ 360 में उपस्थिति दौरान अवैध रूप से सतरुखा वृक्ष काटते हुये वन भूमि को कृषि योग्य बनाने के उद्देश्य से अपराधी लटकू पुत्र कुन्जा आदिवासी निवासी निदानपुर को गिरफ्तार मय औजार (कुल्हाडी) के किया। अपराधी के विरुद्ध वन अपराध के प्रकरण क्रमांक (पी.ओ.आर) 2530/12 दिनांक 02.07.2008 जारी की गई। अपराधी को हरिशंकर शर्मा बीट गार्ड देवलखो द्वारा गिरफ्तार किया गया, अपराधी ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (ज) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। मौके का पंचनामा तैयार किया तथा अपराध की पी.ओ.आर लेखबद्ध की गई एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03- अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :—

1.	क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 02.07.2008 को ग्राम देवलखो वीट जंगल क्षेत्र कक्ष क्रमांक आर.एफ 360 में आपने वन भूमि पर खेती करने के आशय से वृक्षों को काटा ?
----	--

: : सकारण निष्कर्ष : :

05— हरिशंकर अ0सा01 ने उसके कथनों में बताया कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथनों से 8—9 साल पहले की है। उस समय वह वनरक्षक के पद पर देवलखो वीट में पदस्थ था और आर.एफ 360 में गस्त करने वाला पानी स्थान पर गया था जहां उसे लकड़ी काटने की आवाज सुनाई दी वहां जाकर देखा तो मौके पर एक व्यक्ति लकड़ी काटता मिला जिसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम लटकू पुत्र कुंजा आदिवासी निवासी निदानपुर का होना बताया था। उक्त साक्षी ने बताया कि आरोपी मौके पर कुल्हाड़ी से शत्रुका की कटाई करते मिला था। मौके पर वृक्ष के खूंटों की गणना की गई जिसमें लगभग 10 वृक्ष मौके पर कटे पड़े मिले थे। उक्त साक्षी ने बताया कि मौके पर उसके द्वारा जप्ती पंचनामा बनाया गया जो प्र.पी.1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा मौके पर आरोपी से लकड़ी जप्त की गई। आरोपी को लेकर चंदेरी लाया गया। उक्त साक्षी ने बताया कि मौके पर उसके द्वारा हरिराम लोधी, प्रीतम, बाबरा, भज्जू, बंशी आदिवासी के समक्ष मौके का पंचनामा बनाया था जो प्र.पी. 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और मौके पर कटे हुए वृक्ष के खूंटों की सूची तैयार की थी जो प्र.पी. 3 है।

06— हरिशंकर अ0सा01 द्वारा बताया कि उसके द्वारा जप्तशुदा वृक्ष स्वयं की सुपुर्दगी पर ले लिये थे। सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और उक्त अपराध के संबंध में उसके द्वारा पी.ओ.आर रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी जो प्र.पी. 6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि उसके द्वारा प्रकरण में आर.एफ 360 के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं केवल नक्शा पेश किया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि आर.एफ का नोटिफिकेशन होता है और उसके द्वारा उक्त नोटिफिकेशन के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि एक बीघा के करीब क्षेत्र के वृक्ष कटे थे जिसे उसने नापकर देखा था। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के सुझाव को स्वीकार किया कि आरोपी लटकू सहरिया आदिवासी है और सहरिया आदिवासी को जंगल से सिरभुजा लकड़ी ले जाने की अनुमति है।

07— हरिशंकर अ0सा01 द्वारा बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी साक्षी ने स्वीकार किया कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में 100 वृक्ष नहीं काट सकता। उक्त साक्षी का

कहना है कि उसके द्वारा आरोपी से कुल्हाड़ी जप्त की थी जो लगभग आधा किलो वजन की थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि जप्ती पत्रक प्र.पी. 1 में कुल्हाड़ी जप्त होने का कोई उल्लेख नहीं है और इस बात से इंकार किया कि उसके द्वारा न्यायालय में जप्तशुदा लकड़ी पेश नहीं की है तथा जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में सुपुर्दगी के लिये न्यायालय से कोई अनुज्ञा नहीं ली। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि आदिवासी जंगल से सुखी लकड़ियां भी ले जाते हैं। ग्राम निदानपुर में 100 आदिवासियों के परिवार हैं और सभी लोग जंगल पर आश्रित हैं और सभी लोग जंगल से लकड़ियां काटने का कार्य करते हैं। हरिशंकर अ0.सा01 ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि पी.ओ.आर प्र.पी. 6 के दस्तावेज में 100 वृक्ष काटे जाने व कुल्हाड़ी के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 8 में बताया कि वृक्षों की सूची रैंज में तैयार की थी तथा यह बात भी सही है कि आरोपी लटकू को वृक्ष काटते नहीं देखा।

08— भज्जू अ0सा02 ने उसके कथनों में बताया कि करीब 10-12 साल पहले आरोपी लटकू द्वारा सियारी के जार काटे गये थे, उक्त कटाई झाओली नदी के पास जंगल में हुई थी, इसके अलावा और क्या घटना हुई उसे जानकारी नहीं है। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस बात से इंकार किया कि आरोपी ने आर.एफ 360 में कटाई की थी, तथा इस बात से भी इंकार किया कि आरोपी ने कुल्हाड़ी से शत्रुका के वृक्ष काटे थे। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि रैंज वाले 5-5 हजार रुपये लेकर रैंज की भूमि का पट्टा देते हैं और रैंज वाले ही पेड़ काटवाते हैं।

09— वंशी अ0सा03 ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि आरोपी ने जार काटे थे इस कारण रैंज वालों ने उसे पकड़ा था। उक्त साक्षी ने बताया कि उसे मालूम नहीं है कि आरोपी ने उक्त जार किस स्थान से काटे थे। उक्त साक्षी का कहना है कि उसके समक्ष आरोपी को न तो पकड़ा था और न ही उससे कोई वस्तु जप्त हुई और न ही लिखा पढ़ी हुई थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस बात से इंकार किया कि उसके समक्ष प्र.पी. 2 के पंचनामा की लिखा पढ़ी हरिशंकर द्वारा की गई थी और उसपर उसने अंगुठा निशानी किया था। स्वतः कहा उसने रैंज ऑफिस में अंगुठा निशानी की थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि एक व्यक्ति दिन में 3-4 पेड़ काट सकता है 100 वृक्ष नहीं काट सकता।

10— प्रीतम अ0सा04 ने उसके कथनों में बताया कि वह आरोपी लटकू को जानता है। वह बकरी चराने गया था तब हरिशंकर ने उसे बुलाया था और यह कहा था कि जार किसने काटे हैं तो मैंने उसे बताया कि जार लटकू ने काटे हैं। उक्त साक्षी ने बताया कि और किसी चीज की कटाई आरोपी नहीं कर रहा था। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर

इस बात से इंकार किया कि आरोपी लटकू को हरिशंकर द्वारा कुल्हाड़ी से शत्रुका वृक्ष काटते हुए उसके सामने पकड़ा था तथा इस बात से भी इंकार किया कि बीट गार्ड द्वारा उसके सामने काटे गये शत्रुका के 100 वृक्ष तथा कुल्हाड़ी आरोपी से जप्त किये थे और उसके सामने खूटो की गणना तथा नम्बर डाले थे।

11- हरिशंकर शर्मा अ0सा01 ने उसके मुख्य परीक्षण में व्यक्त करता है कि एक व्यक्ति उसे लकड़ी काटते मिला था जिसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम लटकू पुत्र कुंजा आदिवासी होना बताया था। वहीं प्रतिपरीक्षण के पैरा 8 में उक्त साक्षी यह व्यक्त करता है कि उसने आरोपी लटकू को वृक्ष काटते हुए नहीं देखा है। हरिशंकर अ0सा01 का कहना है कि आरोपी द्वारा शत्रुका वृक्ष की कटाई की जा रही थी जबकि वन विभाग की ओर से प्रस्तुत साक्षी भज्जू अ0सा02, बंशी अ0सा03, प्रीतम अ0सा4 द्वारा आरोपी लटकू द्वारा केवल जार काटने के संबंध में कथन किये हैं। हरिशंकर अ0सा01 द्वारा बताया कि मौके पर लगभग 100 वृक्ष कटे हुए पड़े थे जिनपर उनके द्वारा सिरियल नम्बर डाला गया वहीं प्रतिपरीक्षण के पैरा 8 में उक्त साक्षी व्यक्त करता है कि वृक्षों की सूची उसके द्वारा रैंज में तैयार की गई थी तथा घटना स्थल साक्षी हरिशंकर के अनुसार आर.एफ 360 होना व्यक्त किया है। उक्त संबंध में भी हरिशंकर द्वारा प्रकरण में वन विभाग की टोपो शीट या घटना स्थल वन विभाग का आर.एफ 360 स्थल था, इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं।

12- प्रकरण के जप्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षियों द्वारा भी अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है तथा हरिशंकर शर्मा बीट गार्ड अ0सा01 द्वारा यदि प्रकरण में 100 वृक्ष जप्त किये गये थे, उक्त जप्तशुदा वृक्षों को न ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही न्यायालय के द्वारा उक्त जप्तशुदा 100 वृक्षों को सुपुर्दगी पर लिया गया। हरिशंकर अ0सा01 का यह भी कहना है कि उसके द्वारा 100 वृक्षों को जप्त करने के साथ ही आरोपी से एक कुल्हाड़ी भी जप्त की थी किन्तु जप्ती पत्रक प्र.पी. 1 का अवलोकन करने से जप्ती पत्रक के अनुसार कुल्हाड़ी जप्त किया जाना उल्लेखित नहीं है तथा स्वयं हरिशंकर अ0सा01 द्वारा प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा जप्ती पत्रक प्र. पी.1 में आरोपी से कुल्हाड़ी जप्त किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है तथा आरोपी आदिवासी अर्थात् जनजाति समुदाय का व्यक्ति है जिसको जंगल से सुखी लकड़ियां ले जाने की अनुमति रहती है, उक्त बात स्वयं हरिशंकर द्वारा स्वीकार की गई है। इस प्रकार प्रकरण के अभियोगी एवं विवेचनाकर्ता हरिशंकर की साक्ष्य में तथ्यों को लेकर महत्वपूर्ण तात्विक विरोधाभास है, इसके अलावा अन्य साक्षीगण ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अतः यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी द्वारा घटना दिनांक समय व स्थान पर ग्राम देवलखो जंगल क्षेत्र कक्ष क्र0 आर.एफ 360 से वन भूमि पर खेती करने के आशय से शत्रुका के वृक्षों को काटा गया। अतः आरोपी लटकू को भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 (ज) के तहत दोषमुक्त किया जाता है।

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-315/08

Filling no- 235103000822008

13- आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

14- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल जप्त नहीं है।

15- आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0